रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99

REGD. NO. D.L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1332] नई दिल्ली, सोमवार, नवम्बर 6, 2006/कार्तिक 15, 1928
No. 1332] NEW DELHI, MONDAY, NOVEMBER 6, 2006/KARTIKA 15, 1928

विधि एवं न्याय मंत्रालय

(विधायी विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 6 नवम्बर, 2006

का.आ. 1904(अ).—राष्ट्रपति द्वारा किया गया निम्नलिखित आदेश सर्वसाधारण की जानकारी के लिए प्रकाशित किया जाता है :–

आदेश

श्री येरननायडू, संसद् सदस्य (लोक सभा) और तेलुगु देशम संसदीय पार्टी के अन्य संसद् सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर की गई याचिका राष्ट्रपति को, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी, आसीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) की अभिकथित निरर्हता के संबंध में तारीख 14 मार्च, 2006 और 20 मार्च, 2006 को प्रस्तुत की गई है;

और उक्त याचियों ने यह प्रकथन किया था कि श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी तिरुमाला - तिरुपति देवस्थानम बोर्ड, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे हैं जो अभिकथित रुप से लाभ का पद है;

और राष्ट्रपति द्वारा संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (2) के अधीन दो अलग-अलग निर्देशों, अर्थात् एक तारीख 21 मार्च, 2006 के और दूसरे 22 मार्च, 2006 के निर्देश के अधीन इस प्रश्न के संबंध में निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए निरर्हित हो गए हैं;

और निर्वाचन आयोग के समक्ष इन कार्यवाहियों के लंबित रहने के दौरान, संसद् (निरर्हता

निवारण) अधिनियम, 1959 का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद् द्वारा अधिनियमित कर दिया गया था और राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् उसे 18 अगस्त, 2006 को प्रकाशित कर दिया गया था;

और संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 की धारा 2 के खंड (ii) द्वारा 4 अप्रैल, 1959 से यथा अंतःस्थापित संसद् (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1959 की धारा 3 के खंड (ट) द्वारा तिरुमाला - तिरुपति देव-स्थानम बोर्ड के अध्यक्ष का पद को, अन्य पदों के साथ, ऐसे पद के रुप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् का सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा;

और निर्वाचन आयोग ने अपनी राय (उपाबंध द्वारा) दे दी है कि ऊपर वर्णित याचिका में उठाया गया श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 के उपबंधों के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है;

अतः, अब, मैं, आ० प० जै० अब्दुल कलाम, भारत का राष्ट्रपति, संविधान के अनुच्छेद 103 के खंड (1) के अधीन मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिश्चय करता हूं कि श्री टी० सुब्बारामी रेड्डी, तिरुमाला - तिरुपति देव स्थानम बोर्ड के अध्यक्ष का पद उनकी नियुक्ति के कारण, जैसा कि उपर्युक्त दो याचिकाओं में अभिकथन किया गया है संविधान के अनुच्छेद 102 के खंड (1) के उपखंड (क) के अधीन संसद् सदस्य (राज्य सभा) होने के लिए किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

भारत का राष्ट्रपति

28 अक्तूबर, 2006.

[फा. सं. एच-11026(32)/2006-वि.-II]

डॉ. ब्रह्म अवतार अग्रवाल, अपर सचिव

उपाबंध

निर्देश :

संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् सदस्य श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी, राज्य सभा सदस्य की अभिकथित निरर्हता ।

2006 का निर्देश मामला सं. 7 - 8

[संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन राष्ट्रपति से निर्देश]

राय

यह राय भारत के राष्ट्रपति से संविधान के अनुच्छेद 103(2) के अधीन प्राप्त तारीख 21 मार्च और 22 मार्च, 2006 के दो निर्देशों से संबंधित है, जिसमें इस प्रश्न पर निर्वाचन आयोग की राय मांगी गई है कि क्या

श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी संविधान के अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन, राज्य सभा के सदस्य होने के लिए निरर्हित हो गए हैं । तारीख 21 मार्च, 2006 और 22 मार्च, 2006 के ये निर्देश, श्री येरननायडू, संसद सदस्य (लोक सभा) द्वारा राष्ट्रपति को प्रस्तुत 14 मार्च और 20 मार्च, 2006 की याचिकाओं से, जिन पर याचिका में उल्लिखित तेलुगु देशम संसदीय दल के अन्य संसद सदस्यों द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए हैं, उद्भूत हुए हैं ।

2. आयोग ने श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती कपिला वात्सायन और डा. कर्ण सिंह की अभिकथित निरर्हता के ऐसे प्रश्नों पर, जिन्हें भी पूर्वोक्त याचिकाओं में उठाया गया था, पहले ही अपनी राय दे दी है । वर्तमान राय श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी की अभिकथित निरर्हता के प्रश्न से संबंधित है, जो वर्ष 2002 में राज्य सभा के द्विवार्षिक निर्वाचनों में आन्ध्र प्रदेश से निर्वाचित हुए थे । श्री येरननायडू की याचिकाओं में एक मात्र यह कथन अंतर्विष्ट था कि श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी (प्रत्यर्थी) तिरूमाला - तिरूपति देव स्थानम बोर्ड, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष का पद धारण कर रहे थे । तथापि, इन याचिकाओं में प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख का उल्लेख नहीं था और न ही उक्त पद को धारण करने के कारण प्रत्यर्थी को होने वाले किसी 'लाभ' के ब्यौरों का उल्लेख था । अभिकथित पद पर नियुक्ति की तारीख अनुच्छेद 103(1) के अधीन ऐसी याचिकाओं पर निर्णय लेने के लिए केवल निर्णायक है, क्योंकि उक्त अनुच्छेद के अधीन केवल ऐसे मामले राष्ट्रपति की अधिकारिता के अंतर्गत आते हैं जहां सदन का कोई आसीन सदस्य ऐसे सदन का सदस्य बनने के पश्चात् निरर्हता उपगत करता है । चूंकि याचिकाओं में प्रत्यर्थी की तिरूमाला - तिरूपति देवस्थानम बोर्ड, आंध्र प्रदेश के अध्यक्ष के पद पर नियुक्ति की तारीख अंतर्विष्ट नहीं थी, इसलिए आयोग ने याचिओं को प्रत्यर्थी की उक्त पद पर नियुक्ति की तारीख के संबंध में विनिर्दिष्ट सूचना मांगी और इस दलील को कि प्रत्यर्थी अनुच्छेद 102(1)(क) के अर्थान्तर्गत सरकार के अधीन एक लाभ का पद धारण कर रहा था, साबित करने के लिए सभी सुसंगत जानकारी/दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए कहा था । याची, श्री के. येरननायडू ने अपने तारीख 15 मई, 2006 के आवेदन में यह कथन किया कि वह अपेक्षित जानकारी एकत्रित करने के लिए कार्यवाही कर रहा था और एक व्यष्टि के रूप में उसे ऐसा करने के लिए काफी समय अपेक्षित होगा । उसने यह अनुरोध किया कि आयोग अपेक्षित जानकारी संबंधित सरकारी विभाग से प्राप्त कर सकता था ।

3. चूंकि याचिओं ने इसके पश्चात् आयोग को कोई सूचना नहीं दी, इसलिए आयोग ने तारीख 17.06.2006 के पत्र द्वारा आंध्र प्रदेश सरकार से श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी की पूर्वोक्त पद पर नियुक्ति की तारीख से संबंधित जानकारी, सुसंगत अधिसूचना की एक प्रति के साथ प्रस्तुत करने के लिए कहा । उसके उत्तर में, आंध्र प्रदेश सरकार ने, तारीख 29 जून, 2006 के पत्र द्वारा यह सूचित किया कि वह मामला राजस्व (विन्यास) विभाग को अंतरित कर दिया गया था और उसने इस संबंध में आगे और पत्र व्यवहार उस विभाग के साथ किए जाने का अनुरोध किया । तत्पश्चात् आयोग ने, तारीख 27.07.2006 के पत्र द्वारा पूर्वोक्त विभाग को 8.8.2006 तक जानकारी प्रस्तुत करने के लिए कहा । तथापि, उनसे कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ ।

4. यद्यपि जब यह मामला जांच और कार्रवाई किए जाने के लिए आयोग के विचाराधीन था उस समय, 1959 के मूल अधिनियम का संशोधन करने के लिए संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन अधिनियम, 2006 संसद्

द्वारा अधिनियमित किया गया था और जिसे राष्ट्रपति की अनुमति के पश्चात् 18.08.2006 को अधिसूचित किया गया था । इस संशोधन अधिनियम की एक प्रति 21.08.2006 को विधि और न्याय मंत्रालय से प्राप्त हुई थी । संशोधन अधिनियम द्वारा, अन्य पदों के साथ, तिरूमाला - तिरूपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष के पद को मूल अधिनियम की धारा 3 (ट) के अधीन, एक ऐसे पद के रूप में घोषित किया गया है, जिसका धारक संसद् सदस्य चुने जाने के लिए और सदस्य होने के लिए निरर्हित नहीं होगा । मूल अधिनियम के इस संशोधन को 4 अप्रैल, 1959 से भूतलक्षी प्रभाव देते हुए प्रवृत्त किया गया है ।

5. 2006 के ऊपर उल्लिखित संशोधन अधिनयम का वर्तमान निर्देश मामले से सीधा संबंध है, जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है, 1959 के मूल अधिनियम की धारा 3 के खंड (ट) के उपबंधों को 4.04.1959 से प्रवृत्त किया गया है । यह सुस्थापित स्थिति है कि अनुच्छेद 102(1)(क) के अधीन संसद् भूतलक्षी प्रभाव से किसी भी पद को ऐसे पद के रूप मे घोषित करने के लिए सशक्त है, जिसका धारक निरर्हित नहीं होगा । श्रीमती कान्ता कथूरिया बनाम एम. मानक चंद सुराना {1970(2)एससीआर 838} में उच्चतम न्यायालय का निर्णय इस सांविधानिक स्थिति को मान्य ठहराता है । पूर्व में भी, आयोग ने विधान मंडलों द्वारा भूतलक्षी प्रभाव से पारित ऐसी ही विधियों का संज्ञान किया है जब, संबंधित निर्देशों के संबंध में जांच चल रही थी । श्री गया लाल और हरियाणा विधान सभा के 23 अन्य सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामले (1980 का 4) में, आयोग के समक्ष निर्देश के लंबित रहने के दौरान हरियाणा विधान सभा ने हरियाणा विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1974 का दो बार संशोधन कर दिया, जिसके कारण उक्त विधान सभा सदस्यों द्वारा धारित पदों को छूट प्राप्त प्रवर्गों के अंतर्गत लाया गया था । उस मामले में, आयोग ने अपनी तारीख 21.05.1981 की राय में यह मत व्यक्त किया कि निरर्हताएं, यदि कोई थीं, उनके मामलों से हट गई हैं और निर्देश निरर्थक हो गया है । इसी प्रकार, श्री मोहम्मद आजम खान की उत्तर प्रदेश विधान सभा की सदस्यता के लिए अभिकथित निरर्हता से संबंधित निर्देश मामला {2005 का 2(जी)} में, राज्य विधान मंडल ने आयोग के समक्ष कार्यवाहियां लंबित रहने के दौरान, उत्तर प्रदेश विधान सभा (निरर्हता निवारण) अधिनियम, 1971 में एक संशोधन पारित किया । उस मामले में भी, आयोग ने अपनी इस आशय की राय दी थी कि निरर्हता, यदि कोई थी, विधि के संशोधित उपबंधों के आधार पर हट गई है । पुनः, हाल ही में एक अन्य मामले {2006 का निर्देश मामला संख्या 65(जी) से 70(जी)} में मणिपुर के 6 विधान सभा सदस्यों की अभिकथित निरर्हता से संबंधित श्री वाई. मांगी सिंह की याचिका पर आयोग ने, संबंधित पदों को निरर्हता से छूट प्रदान करने वाले, मणिपुर राज्य विधान मंडल द्वारा पारित संशोधन अधिनियम को ध्यान में रखते हुए यह राय दी कि निर्देश निरर्थक हो गया है । वर्तमान मामला तथ्यों और परिस्थितियों में ऊपर निर्दिष्ट मामलों के समान ही है और निरर्हता, यदि कोई थी, को हटाने वाली विधि के संशोधित उपबंध पूर्ण रूपेण इन मामलों को लागू होते हैं ।

6. उपर्युक्त सांविधानिक, विधिक और तात्थिक स्थिति को ध्यान में रखते हुए, आयोग का सुविचारित मत है कि ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट, इन दो याचिकाओं में उठाया गया श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी की अभिकथित निरर्हता का प्रश्न अब निरर्थक हो गया है क्योंकि अभिकथित निरर्हता, यदि कोई थी, संसद् (निरर्हता निवारण) संशोधन

अधिनियम, 2006 के कारण भूतलक्षी प्रभाव से हट गई है । तदनुसार, राष्ट्रपति से प्राप्त ऊपर पैरा 1 में निर्दिष्ट दोनों निर्देशों को संविधान के अनुच्छेद 103 (2) के अधीन भारत निर्वाचन आयोग की इस आशय की राय के साथ राष्ट्रपति को वापस भेजा जाता है कि श्री टी. सुब्बारामी रेड्डी, उनकी तिरूमाला - तिरूपति देवस्थानम बोर्ड के अध्यक्ष के पद पर अभिकथित नियुक्ति के कारण, जैसा कि दोनों याचिकाओं में अभिकथित है, अनुच्छेद 102(1)(क) के अंतर्गत किसी निरर्हता के अध्यधीन नहीं हैं ।

ह./-	ह./-	ह./-
(एस.वाई. कुरेशी)	(एन. गोपालस्वामी)	(नवीन बी. चावला)
निर्वाचन आयुक्त	मुख्य निर्वाचन आयुक्त	निर्वाचन आयुक्त

स्थान : नई दिल्ली
तारीख : 21 सितम्बर, 2006

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Legislative Department)

NOTIFICATION

New Delhi, the 6th November, 2006

S.O. 1904(E).—The following Order made by the President is published for general information :—

ORDER

Whereas petitions dated the 14th March, 2006 and the 20th March, 2006 raising the question of alleged disqualification of Shri T. Subba Rami Reddy, a sitting Member of Parliament (Rajya Sabha), among others, under clause (1) of article 103 of the Constitution have been submitted to the President by Shri Yerrannaidu, Member of Parliament (Lok Sabha) and signed by other Members of Parliament of Telugu Desam Parliamentary Party;

And whereas the said petitioners have averred that Shri T. Subba Rami Reddy is holding the office of the Chairman of Tirumala Tirupati Devasthanam Board, Andhra Pradesh, which is alleged to be an office of profit;

And whereas the opinion of the Election Commission has been sought by the President under two separate references, namely, a reference dated the 21st March, 2006 and another dated the 22nd March, 2006 under clause (2) of article 103 of the Constitution on the question as to whether Shri T. Subba Rami Reddy has become subject to disqualification for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution;

And whereas during the pendency of the proceedings before the Election Commission, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, amending the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959 has been enacted by Parliament and published after the assent of the President on the 18th August, 2006;

And whereas by clause (k) of section 3 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Act, 1959, as inserted with effect from the 4th April, 1959, vide clause (ii) of section 2 of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006, the office of Chairman of the Tirumala Tirupati Devasthanam Board, among others, has been declared as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being, a Member of Parliament;

And whereas the Election Commission has given its opinion (*vide* Annex) that the question of alleged disqualification of Shri T. Subba Rami Reddy raised in the above-mentioned petitions, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006;

Now, therefore, I, A.P.J. Abdul Kalam, President of India, in exercise of the powers conferred on me under clause (1) of article 103 of the Constitution, do hereby decide that Shri T. Subba Rami Reddy has not become subject to disqualification under sub-clause (a) of clause (1) of article 102 of the Constitution, for being a Member of Parliament (Rajya Sabha) on account of his appointment to the office of the Chairman of Tirumala Tirupati Devasthanam Board, as alleged in the above-mentioned two petitions.

President of India

28th October, 2006.

[F. No. H-11026(32)/2006-Leg.-II]

Dr. BRAHM AVTAR AGRAWAL, Addl. Secy.

ANNEX

In *re*:
Alleged disqualification of Shri T. Subba Rami Reddi, Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1) (a) of the Constitution

Reference Cases Nos. 7-8 of 2006
[References from the President under Article 103 (2) of the Constitution]

OPINION

This opinion relates to two references dated 21st March and 22nd March, 2006, from the President of India, under Article 103 (2) of the Constitution, seeking the opinion of the Election Commission on the question whether, among others, Shri T. Subba Rami Reddi, has become subject to disqualification for being Member of the Rajya Sabha, under Article 102 (1)(a) of the Constitution. These references dated 21st March, 2006 and 22nd March, 2006 arose out of petitions dated 14th March and 20th March, 2006 submitted to the President by Shri Yerrannaidu, MP (Lok Sabha) and signed by other MPs of Telugu Desam Parliamentary Party mentioned in the petition.

2. The Commission has already tenderd its Opinion on the question of alleged disqualification in respect of Smt. Sonia Gandhi, Smt. Kapila Vatsayan and Dr. Karan Singh, which was also raised in the aforesaid petitions. The present opinion relates to the question of alleged disqualification of Shri T. Subba Rami Reddi, who was elected to the Rajya Sabha from Andhra Pradesh at the biennial election held in 2002. The petitions of Sh. Yerrannaidu only contained a bald statement that Shri T. Subba Rami Reddi (respondent) was holding the office of the Chairman of Tirumala-Tirupathi Devasthanam Board, Andhra Pradesh. The date

3527 GI/06-3

of his appointment to the said office was, however, not mentioned in the petitions, nor was there any mention of details regarding any 'profit' to the respondent on account of holding the said office. The date of appointment to the alleged office is crucial in taking a decision on such petitions under Article 103 (1), as it is only those cases where a sitting member of the House incurs disqualification after becoming a member of the House that come within the jurisdiction of the President under the said Article. As the petitions did not contain any statement with regard to the date of appointment of the respondent as the Chairman of the Tirumala Tirupathi Devasthanam Board, Andhra Pradesh, the Commission asked the petitioners to furnish specific information about the date of appointment of the respondent to the said office and also all relevant information/documents to substantiate the contention that the respondent was holding an office of profit under the Government within the meaning of Article 102 (1) (a). The petitioner, Shri K. Yerrannaidu, in an application dated 15th May 2006, stated that he was in the process of collecting the requisite information, and that as an individual, he would require substantial time .for the same. He made a request that the Commission may obtain the requisite information from the Govt. department concerned.

3. As nothing further was heard from the petitioners, the Commission vide letter dated 17.06.2006, asked the Government of Andhra Pradesh to furnish the information about the date of appointment of Shri T. Subba Rami Reddi to the aforesaid office, along with copy of the relevant notification. In reply thereto, the Government of Andhra Pradesh, vide letter dated 29th June, 2006, informed that the matter was transmitted to the Revenue (Endowments) Department and requested to make further correspondence with that department in the matter. The Commission then, vide letter dated 27.07.2006, asked the aforesaid department to furnish the information by 8.8.2006. However, no reply was received from them.

4. While the matter was thus under consideration of the Commission for further enquiry, the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act,

2006, amending the Principal Act of 1959, was enacted by the Parliament and notified after the Presidential assent on 18.8.2006. A copy of this Amendment Act was received in the Commission from the Ministry of Law and Justice on 21.8.2006. By the Amendment Act, the office of Chairman of the Tirumala Tirupathi Devasthanam Board, among others, has been declared, under Section 3 (k) of the Principal Act, as an office the holder of which shall not be disqualified for being chosen as, and for being Member of Parliament. This amendment to the Principal Act has been brought into force with retrospective effect from 4th April, 1959.

5. The above mentioned Amendment Act of 2006 has a direct bearing on the present reference cases. As mentioned above, the provisions of clause (k) of Section 3 of the Principal Act of 1959 have been brought into force with effect from 4.4.1959. It is a settled position that under Article 102(1)(a), the Parliament is empowered to declare, with retrospective effect, an office to be an office the holder whereof shall not be disqualified. The decision of the Supreme Court in Smt. Kanta Kathuria vs. M. Manak Chand Surana [1970 (2) SCR 838] upholds this constitutional position. In the past also, the Commission has taken cognizance of similar laws passed by the legislatures with retrospective effect, even as enquiry into the references concerned was in progress. In the reference case (No. 4 of 1980) regarding alleged disqualification of Sh. Gaya Lal and 23 other members of the Haryana Legislative Assembly, during the pendency of the reference before the Commission, the Haryana State Legislature amended the Haryana State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1974, twice by virtue of which the offices held by the said MLAs were brought under the exempted categories. In that case, the Commission, in its opinion dated 21-05-1981 held the view that the disqualifications, if any, stood removed in their cases and the reference became infructuous. Similarly, in a reference case {No. 2(G) of 2005,} relating to alleged disqualification of Shri Mohd. Azam Khan for membership of Uttar Pradesh Legislative Assembly, the State Legislature passed an amendment to the Uttar

Pradesh State Legislature (Prevention of Disqualification) Act, 1971, during the pendancy of the proceedings before the Commission. In that matter also, the Commission tendered its opinion to the effect that disqualification, if any, stood removed in view of the amended provisions of the law. Again, in another recent case {Reference Case Nos. 65(G) to 70 (G) 2006) on the petition of Sh. Y. Mangi Singh regarding alleged disqualification of 6 MLAs of Manipur, the Commission took note of the Amendment Act passed by the Manipur State Legislature, exempting the offices concerned from disqualification, and opined that the reference had been rendered infructuous. The present cases are similar in facts and circumstances to the above referred cases and the amended provisions of law removing the disqualification, if any, squarely apply in these cases.

6. Having regard to the above constitutional, legal and factual position, the Commission is of the considered view that the question of alleged disqualification of Shri T. Subba Rami Reddi raised in the two petitions, referred to in paragraph 1 above, has now become infructuous as the alleged disqualification, if any, stands removed with retrospective effect by virtue of the Parliament (Prevention of Disqualification) Amendment Act, 2006. Accordingly, the two references from the President referred to in paragraph 1 above are returned with the Commission's opinion to the effect that the Shri T. Subba Rami Reddi is not subject to disqualification under Article 102(1)(a) on account of his appointment to the office of the Chairman of the Tirumala-Tirupathi Devasthanam Board, as alleged in the two petitions.

Sd/-	Sd/-	Sd/-
(S.Y.Quraishi)	**(N.Gopalaswami)**	**(Navin B.Chawla)**
Election Commissioner	**Chief Election Commissioner**	**Election Commissioner**

Place: New Delhi
Dated: 21st September, 2006

Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.